रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122020-223937
CG-DL-E-26122020-223937

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4132] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 24, 2020/पौष 3, 1942
No. 4132] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 24, 2020/PAUSHA 3, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4695(अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1616(अ), तारीख 22 मई, 2020, द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना में अन्तर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 22 मई, 2020, को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, पूर्वोक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युतर में व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया था;

और, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड के तीन जिलों अर्थात् नैनीताल, चम्पावत और उधम सिंह नगर जिलों में स्थित है, जो कि इसका नाम नंधौर घाटी और नंधौर नदी से रखा गया है जो कि घाटी के अंदर बहती है और नंधौर वन्यजीव अभयारण्य उत्तर अक्षांश 28°56'29.35" से 29°16'39.79" और पूर्व देशांतर 79°33'3.82" से 80°10'0.03" के बीच स्थित है और इसका क्षेत्रफल 269.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है;

और, इस बड़े भू-दृश्य पश्चिम की ओर यमुना नदी और पूर्व की ओर नेपाल में भागमती नदी है;

और, यह भू-दृश्य तराई-दौर सवाना पारिस्थितिकी–क्षेत्र का एक प्रतिनिधि है, जो दक्षिणी ढलानों में हिमालय की ओर जाता है और भू-दृश्य का संपूर्ण क्षेत्र राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर, जैव विविधता के महत्त्वपूर्ण केंद्र के रूप में पहचाना जाता है;

और, अभयारण्य में मुख्य वनस्पति *कैसिया फिस्टुला* (अमलताश), *आइलैंथस एक्सेलसा* (अरु), *मंगिफेरा इंडिका* (आम), *स्पोंडियास पिन्नाटा* (आमरा), *इम्बेलिका ओफिसिनैलिस* (आवला), *राइटिया टोमेंटोसा* (इंद्राजो), *टैमरिंडस इंडिका* (इमली), *स्टेरुलिया विल्लोसा* (उदाल), *बउहीनिया वारिइगाटा* (काछमार), *फ्लैकोर्टिया इंडिका* (कटैल [कंडाइ]), *ज़िज़िफ़स ज़ायलोना* (कैथबर), *हापलोहरागमा अडेनाफल्लुम* (कथ सगौन), *मरीका सपिदा* (काफल), *बुकानानिया लंजान* (कथभिलावा), *बुचानानिया लतीफोलिया* (प्यालचारोजी), *गमेलीना अरबोरिया* (कमहार [गमहार]), *अलबिज़िया ओडोरातिसीमा* (कालासिरीस), *अकैशिया फरनेसिअना* (किंकर), *केरिया आर्बोरिया* (कुंभी), *फिकस क्यूनिया* (कुमिया), *स्चलेइचेरा ओलेओसा* (कुसुम), *होलार्हेना अंतीडयसेंटेरीका* (कुडा), *फोइबे लांकेओलाटा* (ककरा), *मुचीलुस अडोराटीस्सीमा* (कओला), *होलोप्टेलेया इंटगरीफोलिया* (कंजु), *केल्टिस टेट्रेंड्रा* (क्रिच), *बउहीनिया मालाबरिका* (खतवा), *बेरिदेलिया रतुसा* (खजा), *फिकस इंफेकटोरिया, फिकस रूम्फि* (खबर, पकार), *स्पिउम इंसिगना* (खैइना), *अकैशिया कटेचु* (खेर), *बउहीनिया पुरपुरिया* (खेरवाल्ल), *तरेविया नुडीफलोरा* (कुटेल), फिकस राकेमोसा (गुलार), बोइहमारिया रूगुलोसा (गेथी), *बरिदेलिया रतुसा* (गोली [इकडांया]), *इहरेटिया लइविस* (चमरोह[इचोडा]), *कैसेअरिया इल्लीप्टीका* (चिल्ला), *वेंडलांडिया एक्ससेर्टा* (चिला [चिर्चुनिया]), *डीप्लोकनेमा बुतयराकेअ* (चुरा), *पिनस रोक्सबर्गी* (चिर), *एल्टोनिया स्चेलारिस* (चितवन [चिउन]), *सियाजियम क्यूमिनी (जामुन), ट्रेमा ओरिएंटलिस* (जीवंती), *पुतरांजीवा रोक्बुरगली* (जूटी), *टमारिक्स डीओइका* (झाउ), *लेन्नेया कोरोमांडेलिका* (झींगन), *चिन्नामोमुम टमाला* (दालचिनी[तेजपत्ता]), *गरूगा पिन्नाटा* (टिटमिरा [खरपत]), *मिलिउसा वेलुटीना* (डोम्साल), *बुटेया मोनोसपर्मा* (धाक), *इलाइओटेंडरोन गलाउकुम* (धिबरी), *स्पिउम सेबिफेरूम* (टरचारबि), *ओरोक्लुम इंडिकम* (टरलौ[टसरिया]), *कोक्कुलुस लउरिफोलिउस* (टिलफोरा), *फिकस रोक्बुरघी* (तिमला), *टोना किलिअट, केडरेला टौना* (तुन), *डायोस्पायर टोमेंटोज* (टांडु), *गार्डेनिया टर्गिडा* (थानेला), *ग्रेविया इलास्टीका* (थमान), *वुडफोर्डिया फ्रेटिकोसा* (धउला), *एरिथ्रिना सुबेरोसा* (धौलाधाक), *लेगरोस्ट्रोइमिया परविफ्लोरा* (धौरी), *अजाडिराचटा इंडिका* (नीम), *स्टेरेओस्पेरमुम सुअवेओलेंस* (पडाल), *बिस्चोफिया जवानिका* (पानिसेमाल), *डालबेरगिया लोंकेओलारिया* (पास्सि [बंधार]), *फिकस रेलिगिओसा* (पीपल), *कीडिया चालयचिना* (पुला[पत्ता]), *बरोउस्सोनेटिया पपयरिफेरा* (पेपर मालवारी), *मित्राग्याना प्रवीफोलिया* (फलदु), *ग्रेविया हइनेसिना* (फरासेन), *अकैशिया निलोटिका* (बबूल), *टर्मिनलिया बेल्लेरिका* (बहेरा), *मेलिया अजेदेराच* (बकेइन), *क्रेटकवा रेलिगिओसा* (बरना [बरूना]), *फिकस बेंगालेंसिस* (बंराथा [बरगद]), *अनोगेइस्सुस लतिफोलिया* (बाकाली), *पटोरोकारपुस मारसुपियम* (बिजयसाल), *फिकस रूचांदेंस* (बेतुली), *रोडोडेंड्रोन अर्बोरम* (बुरास), *क्रेरकस लेउकोटरिचोफोरा* (बांज), *एगल मार्मेलोस* (बेल), *ज़िज़फस मौराटिओना, ज़िज़फस जुजुबा* (बेर), *हाइमेनोडिक्टीऑन एक्सेलसुम* (बोरंग), *सेमेकार्पस एनाकार्डियम* (भिलावा), *ग्रेविया ओप्पोसिटिफोलिया* (भिमल), *मधुका इंडिका* (महुवा), *ज़िज़फस क्यलोयरा* (मकिदा), *लिअसेइया घुतिनोसे* (मइदा), *रानदिया डुमेटोरूम* (मर्निफाल्ल), *इयकालयपतउस हायबरिड (इयकालयपतुस [सफेदा]), माल्लोटस फिल्लिपेंसिस* (रोहानी), *कोरडिया डिचोटोमा, कोरडिया मयक्या* (लसोरा), *कसैरिया ग्रराक्वेओलेंस* (लालचिला), *मोरूस अलबा* (सहतुत [तुतारी]), *डालबर्गिया सिसो* (शीसु [शीसम]), *क्यलोसमा लोंगिफोथुम* (शाल्लु), *सहोरिया रोबुस्ता* (साल), *ओउगिनिया ओओजेनिनेसिस* (सादान), *टेक्टोना ग्रांडिस* (साओगोन), *अल्बिजिया चिनेंसिया* (सिरीस [काला]), *एल्बिजिया प्रोकेरा* (सिरीस [सफेद]), *मोरिंगा ओलीफ़ेरा* (सैजना), *बोंबक्स किइबा* (सेमल), *टर्मिनलिया अलाटा* (सैन [असहना]), *न्यक्टेन्थस अरबोरट्रिस्टिस* (हेरसर्रिंगार), *अदीना कोर्डिफोलिया* (हलदु), *टर्मिनलिया चेबुला* (हार्रा [हरड]), आदि उपलब्ध है;

और, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले बड़े जीवजंतु में बाघ, हाथी, तेंदुआ, रीछ और कई शाकाहारी पशु बहुत महत्त्वपूर्ण हैं और इस क्षेत्र में जीवजंतुओं की विविधता के समान ही वनस्पति की विविधता पाई जाती है, जिसमें इस विविधता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में चैंपियन और सेठ वर्गीकृत वनों के 27 प्रकार और उप प्रकार हैं;

और, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य से जीवजंतु रेसस मैकाक (*मकाका मुलाट्टा),* सामान्य लंगूर *(प्रेबयतीस इन्तेल्लुस),* बनबिलार *(फेलिस चाउस),* बाघ (*पैंथेरा टाइगरिस*), सामान्य नेवला (*हर्पस्टेस एड्वर्डसी*),छोटा भारतीय नेवला (*हर्टेस्टेस अउरोपुनकटुस),* सियार (*कैनिस ऑरियस*),भारतीय लोमड़ी (*वुल्प्स बेंगलेंसिस*), रीछ (*मेलर्सस अरसिनस*), छोटा भारतीय मुसंग (*विवर्रिकुला इंडिका),* ब्लू बुल (*बोसेलाफुस ट्रारागोकेमेलुस),* मुंजक (*मुनटीक्स मुनतजक*), चित्तीदार हिरण (*एक्सिस एक्सिस*), सांभर (*रुसा यूनीक्लोर*), बनैला सूअर (*सस स्क्रोफ़ा*), फाइव स्टीपेड पाम गिलहरी *(फुनाम्बुलुस पेन्नांटी),* भारतीय फील्ड माउस (*मुस्बोदुगा),* सामान्य हाउस रेट *(रट्टुस रट्टुस),* सामान्य हाउस माउस (*मुस मुस्कुलुस),* साही(*हिस्ट्रीक्स इंडिका),* ग्रे मुसक शेरव *(सुनकस मुरीनस),* रूफोस्टेलड खरगोश (*लेपुस निगरिकोल्लीस रूफिकाउडतुस),* फ्लाइंग लोमडी (*पटेरोपुस गिगंटूस),* फ्रूईट बेत (*रौसेट्टुस लेसचेनॉल्टी),* गोरल (*नेमोरहेडुस गोरल),* भारतीय साल (*मानिस क्रैसिकाउडाटा*), एशियन हाथी (*इलेफ़स मैक्सिमस),* सामान्य पाम मुसंग *(पराडोक्यरूस हेरमाफरोडिटस),* रेड गिअंत फ्लाइंग गिलहरी (*पेटोरिस्टा पेटोरिस्टा),* हिसपिड खरगोश (*कैरोलांगूस हिसेलडस),* भारतीय खरगोश *(लेपस निगरीकोल्लिस),* शेरोव (*कापरिकोर्निस सुमातराइंसिस),* आदि अभिलिखित किए गए हैं;

और, नंधौर वन्यजीव अभयारण्य और के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाऐं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन और प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अधिसूचना में पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड राज्य में नैनीताल चम्पावत और उधम सिंह नगर जिला नंधौर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.7 किलोमीटर से 15.0 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात्:-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार नंधौर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 0.7 किलोमीटर से 15.0 किलोमीटर तक विस्तृत है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 540.267 वर्ग किलोमीटर है। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है:

हल्द्वानी वन संभाग	: 270.175 वर्ग किलोमीटर;
चम्पावत वन संभाग	: 100.880 वर्ग किलोमीटर;
तराई पूर्व वन संभाग	: 167.103 वर्ग किलोमीटर;
राजस्व क्षेत्र के 2 ग्राम	: 1.9518 वर्ग किलोमीटर;
वन पंचायत क्षेत्र	: 0.1574 वर्ग किलोमीटर.

(2) नंधौर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।

(3) सीमा विवरण और अक्षांशों और देशांतरों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन का सीमांकन करते हुए नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के मानचित्र **उपाबंध-II क, उपाबंध-II ख, उपाबंध-II ग, उपाबंध-II घ** और **उपाबंध-II ङ** के रूप में संलग्न है।

(4) नंधौर वन्यजीव अभयारण्य और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** की सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।

(5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV क** और **उपाबंध-IV ख** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना– (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं के अनुसार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय बातों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:-

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि;

(iv) राजस्व;

(v) शहरी विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में जो अधिक दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूल हों का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना विद्यमान और प्रस्तावित भूमि उपयोग विशेषताओं के ब्यौरों से अनुसमर्थित मानचित्र के साथ सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बस्तियों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी और सारणी में सूचीबद्ध पैरा-4 में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों का अनुपालन करेगी और स्थानीय समुदायों की जीविका को सुरक्षित करने के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल विकास को सुनिश्चित और उसकी अभिवृद्धि भी करेगी।

(8) आंचलिक महायोजना प्रादेशिक विकास योजना की सह विस्तारी होगी ।

(9) इस प्रकार अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार मानीटरी के अपने कार्यों को करने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, उद्यान कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के प्रयोजनों के लिए चिन्हित किए गए उद्यानों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक या आवासीय या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं किया जाएगा:

परन्तु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं; सुविधाजनक भंडार और स्थानीय सुविधाएं सहायक पारिस्थितिकी पर्यटन जिसके अंतर्गत गृहवास सम्मिलित है; और

(v) पैरा 4 के अधीन दिए गए संवर्धित क्रियाकलाप:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों और संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी गलती को, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त गलती को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त गलती को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा;

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.**- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्त्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट

विकास क्रियाकलापों प्रतिषिद्ध करने के बारे में जो ऐसे क्षेत्रों के लिए अहितकर हो ऐसी रीति से मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार किए जाएंगे।

(3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.–** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य पर्यटन विभाग द्वारा तैयार होगी।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी ।

(घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे अर्थात्:-

(i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परन्तु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और रिजॉर्ट का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और नामनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात होगा;

(ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतो तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धांतो (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर किसी नए होटल, रिजार्ट या वाणिज्यिक स्थापन का संन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(4) **प्राकृतिक विरासत.–** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातो, झरने, दर्रो, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

(6) **ध्वनि प्रदूषण.**– पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण और निवारण का अनुपालन किया जाएगा।

(7) **वायु प्रदूषण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुपालन में किया जाएगा।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण.**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, और पर्यावरण अधिनियम अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण संबंधी साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों, इनमें जो भी अधिक कठोर हों, के अनुसार किया जाएगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट.-** ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357 (अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 के अधीन प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन (ईएसएम) अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट.**- जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.सा.का.नि. 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण-अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जा सकेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट.-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन का निपटान भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय- समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय-यातायात.-** यातायात की यानीय गतिविधि को आवास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध सम्मिलित किए जाएंगे तथा आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने तक, मानीटरी समिति सुसंगत अधिनियमों और उनके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधि के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **यानीय प्रदूषण.-** यानीय प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा और स्वच्छतर ईंधन के उपयोग के प्रयास किए जाएंगे ।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां.-** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा;

पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

(ख) जिन ढ़लानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम, के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों जिसके अंतर्गत तटीय विनियमन जोन, 2011 और पर्यावरणीय समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 और अन्य लागू विधियों जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), सम्मिलित है तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	वर्णन
(1)	(2)	(3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और अपघर्षण इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होगी; (ख) खनन प्रचालन, 1995 की रिट याचिका (सिविल) सं. 202 में टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत संघ के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश 4 अगस्त, 2006 और 2012 की रिट याचिका (सिविल) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में होगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुज्ञा नहीं होगी: परन्तु यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्ग दर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के

		अनुसार जब तक कि अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हों, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा; पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा और इसके अतिरिक्त गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्यागों को बढ़ावा दिया जाएगा।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	प्रतिषिद्ध।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र भूमि में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
8.	पोलिथीन बैगों का प्रयोग ।	प्रतिषिद्ध।
9.	ईंट भट्ठों की स्थापना करना।	प्रतिषिद्ध।
	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों लघु अस्थायी संरचनाओं के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्टों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु यह कि संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के परे या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें से जो भी निकट हो सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार के नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी: परंतु यह कि स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने उपयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी, जैसे:- परंतु यह और कि गैर–प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित

		संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे । (ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से परे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों में वर्गीकरण के अनुसार समय-समय पर संशोधित किया जाएगा कि गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय में, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगे ।
14.	वन उत्पादों या गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	विद्युत और संचार टावरों का परिनिर्माण और केबलों के बिछाए जाने और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे। भूमिगत केबल के बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं सहित अवसंरचनाएं ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों और उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नवीन सड़कों का संनिर्माण ।	न्यूनीकरण उपायों को लागू विधियों, नियमों और विनियमनों तथा उपलब्ध मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा ।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात किया जाएगा ।

	मछली पालन ।	
22.	फर्मों, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुओं और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	सिवाय स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधि के अनुसार (सिवाय अन्यथा उपबंधित) विनियमित होंगे।
23.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्तारण ।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव के निस्सारण से बचा जाएगा और उपचारित अपशिष्ट जल के पुन:चक्रण और पुन:उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा लागू विधियों के अनुसार उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
24.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
25.	ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिकी-पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	वाणिज्यिक सूचना पट्ट और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अनुसार विनियमित होंगे ।
इ. संवर्धित क्रियाकलाप		
29.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
30.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या वास की बहाली ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निगरानी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी अर्थात्:-

क्र.स.	**निगरानी समिति का गठन**	**पदनाम**
(i)	कलेक्टर, नैनीताल	पदेन, अध्यक्ष;

(ii)	चंपावत के कलेक्टर के प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	पर्यावरण विभाग के प्रतिनिधि, उत्तराखंड सरकार	सदस्य;
(iv)	उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य;
(v)	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vii)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाला पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	प्रभागीय वन अधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग	सदस्य-सचिव।

6. निर्देश–निबंधन.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को निगरानी करेगी।

(2) निगरानी समिति का कार्यकाल अगले आदेश होने तक किया जाएगा, परंतु यह कि समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित हैं, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैराग्राफ 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण अनापत्ति के लिए केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) उन क्रियाकलापों की, जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, और जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आते हैं, सिवाय इसके पैरा 4 के अधीन सारणी में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के, निगरानी समिति द्वारा वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण अधिनियम, की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(6) निगरानी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध V में संलग्न प्रोफार्मा में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. अतिरिक्त उपाय.- इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. उच्चतम न्यायालय, आदि आदेश.- इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अध्यधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/113/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध- I

उत्तराखंड राज्य में नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

पूर्व दिशा – सारदा उत्तर 22,23, मतीअबांझ 3,4, छीनी 53, पश्चिम बस्तीअ 1,2,3, पूर्व बस्तीअ 1,2,3,4, नागहन 8, बरमदेव ए2,ए1, ककराली बी, ए, डी, उत्तर गुलीअपानी 4बी, दक्षिण गुलीअपानी 1,2,3, पूर्व किलपुरा ए, बी, सी;

पश्चिम दिशा- केलेगा-6,1, नंधौर-1 सुमंथपला-2, लखनमांदी-5ए, 4सी, 4ए, 4बी, 3, 2ए, 1ए, 8बी, दोलपुखरा- 5, 8बी, 8सी, 8ए, 7ए, 7बी, 6बी, 6ए, कलुखेरा- 5,6,3 रतीघाट- 3ए, 1ए, 1बी, 2बी, 2ए, 3बी, 3ए,4, 5, 6ए, 6बी गरखेराक खंड सी.सं.-1, 2, 3, 4, 5ए, 5बी शिमलिया खंड सी.सं.-5बी, 4सी, 4ए, 3, 2, 1 पटरानी खंड सी.सं.- 4, पश्चिम लोबचुला 1ए, 2बी, 2ए, 3ए,4ए;

उत्तर दिशा– पूर्व लोबचुला 1,2,3, गयनीयारोअ 1,13, उत्तर खोलघर 1, उपराउला गयनीयारोअ 1,2, दक्षिण लोवेरानाला 1,4,5, उत्तर लोवेरानाला 4बी, 3बी, 2बी कुंदाल 1,4,5,8 अलीगर 1बी, 1ए, बेटलाड 5ए. 5बी (भाग), 2ए(भाग), 1ए(भाग), 1बी(भाग), दुरगापिपल 11(भाग), शारदा उत्तर 4(भाग), 5(भाग), 6(भाग);

दक्षिण दिशा –उत्तर बंदासा खंड 5,8,7, पश्चिम किलपुरा ए, डोगरी खंड-1 एवं 2, सुदलीमाथ खंड I, 11बी, सुदलीमाथ खंड-II-2बी,2ए,1बी,1ए, बेडा आरक्षित -3 पूर्व जौलासाल- 16,15,14,13,12, पश्चिम जौलासाल - 6बी, हंसपुर खंड-सी , कालेगा-7

उपाबंध-IIक

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नंधौर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गुगल मानचित्र

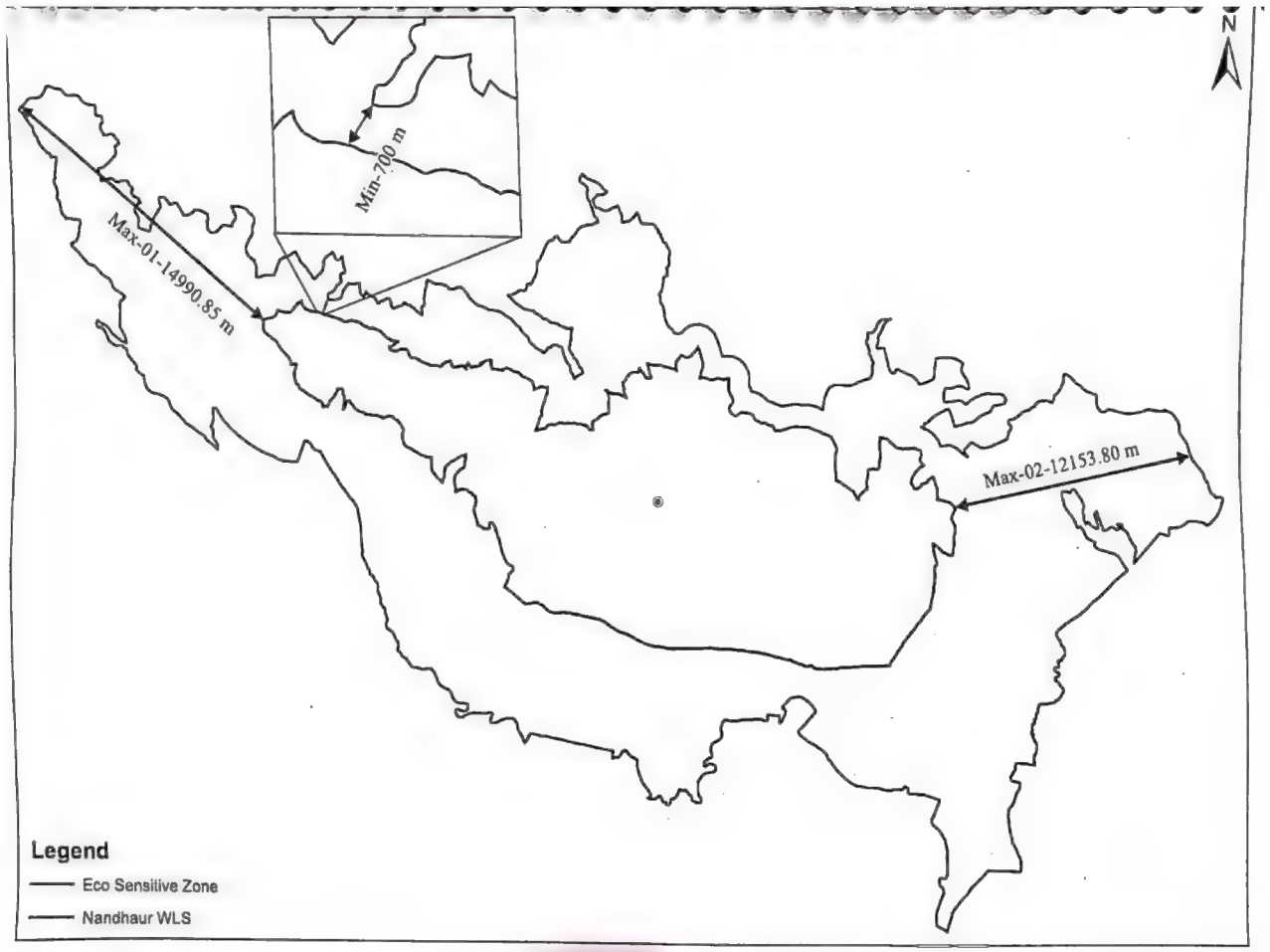

उपाबंध-IIख

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र

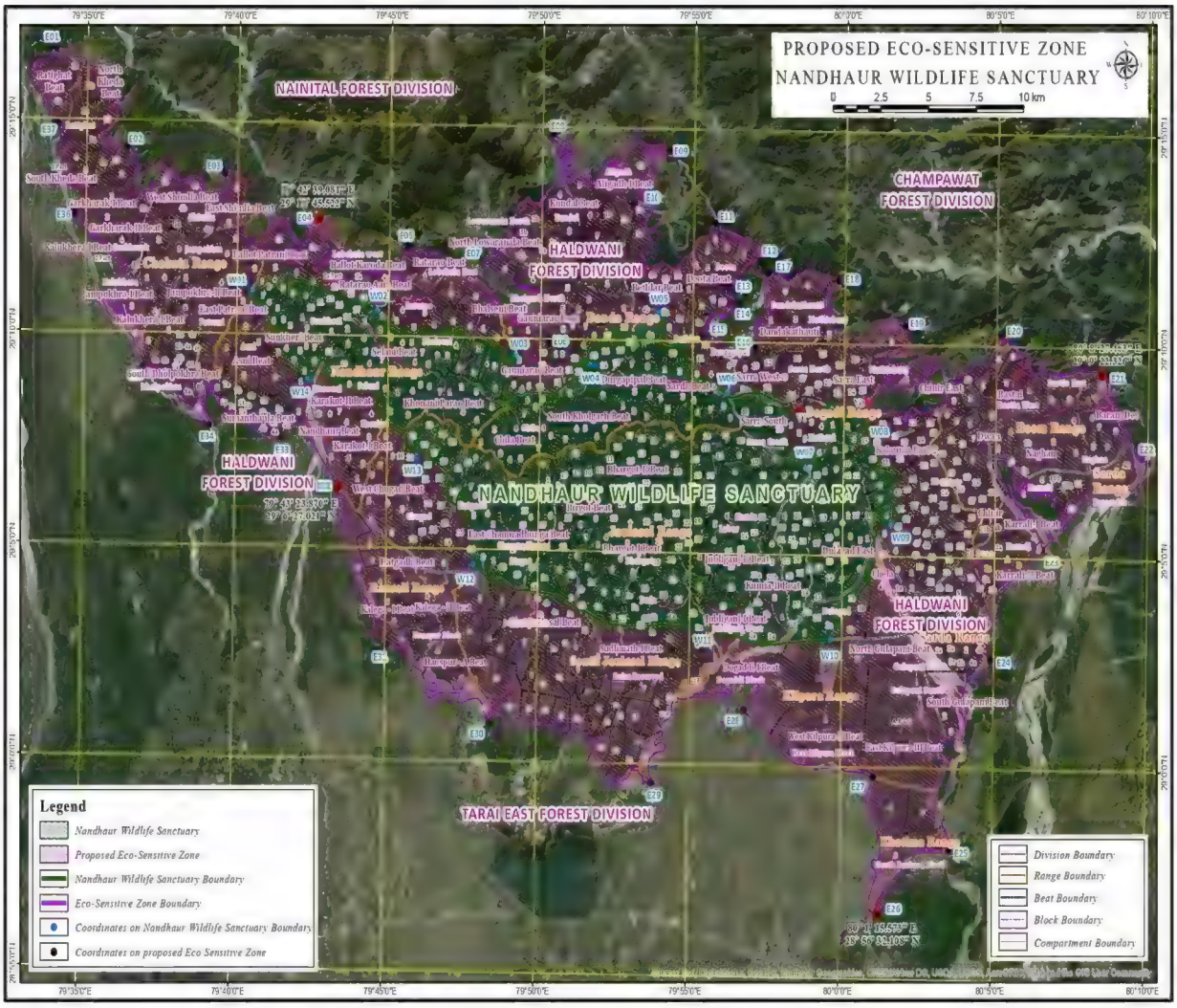

उपाबंध-IIग

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

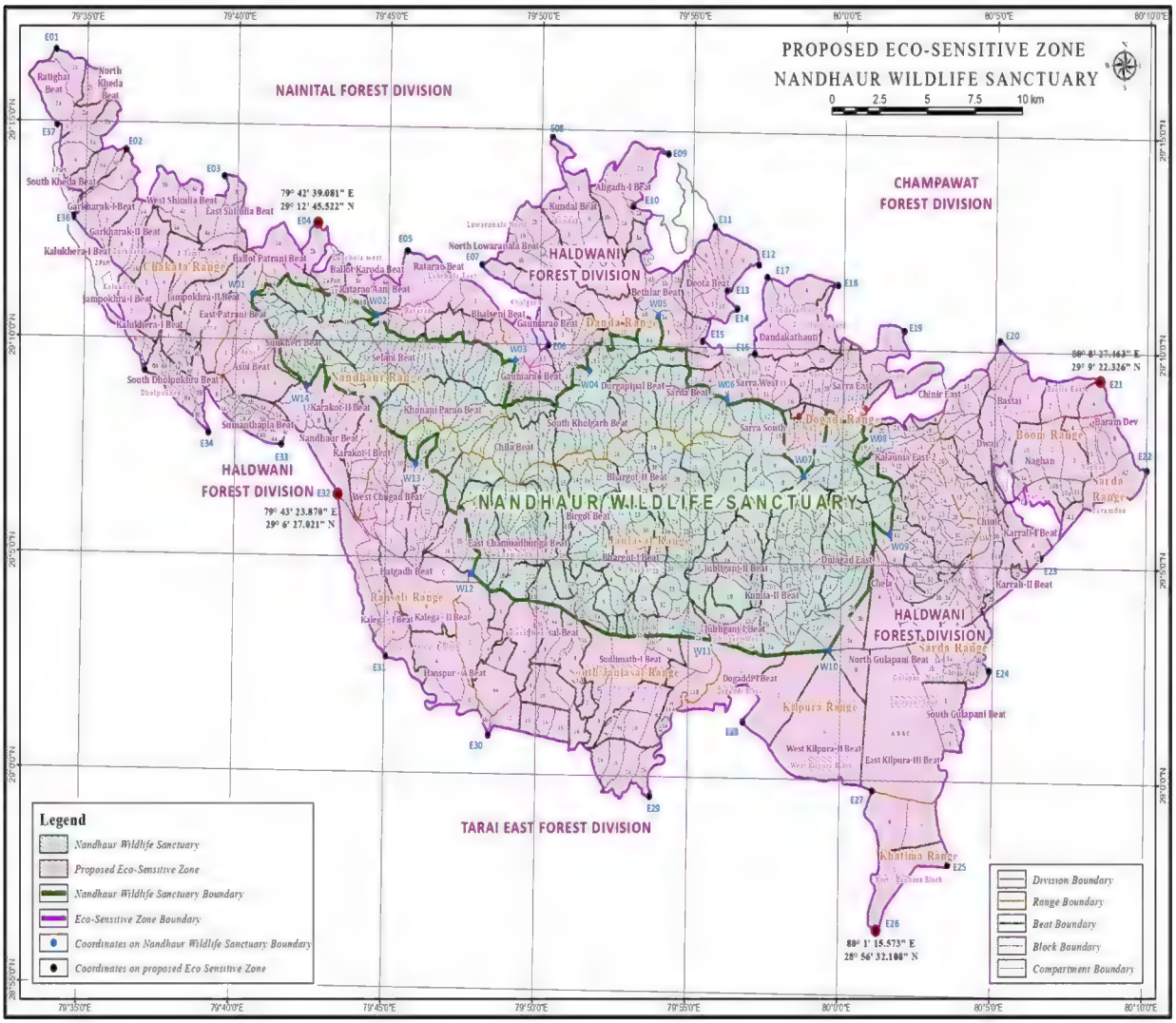

उपाबंध- IIघ

भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) टोपोशीट पर मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

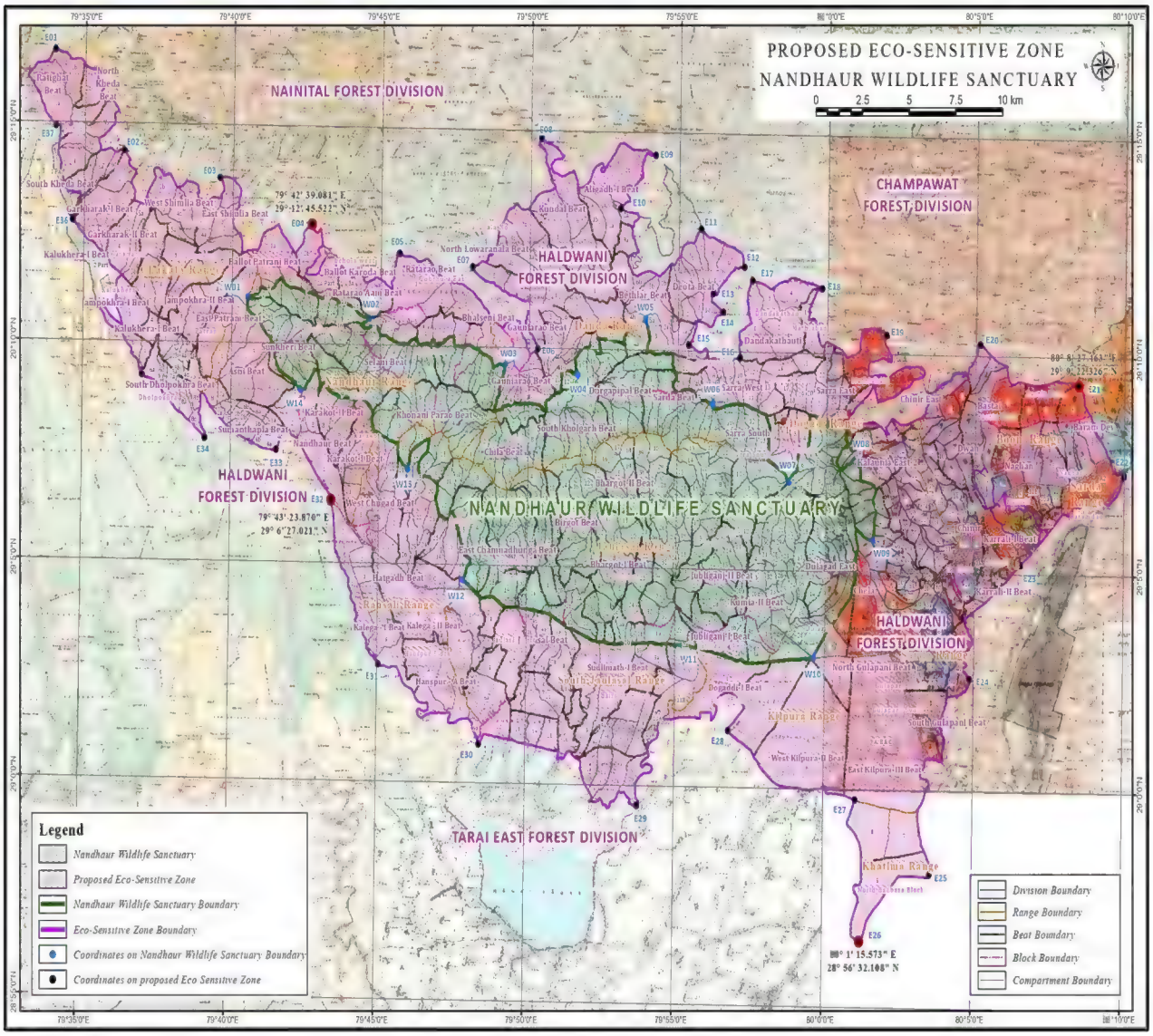

उपाबंध-IIङ

मुख्य अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ नंधौर वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

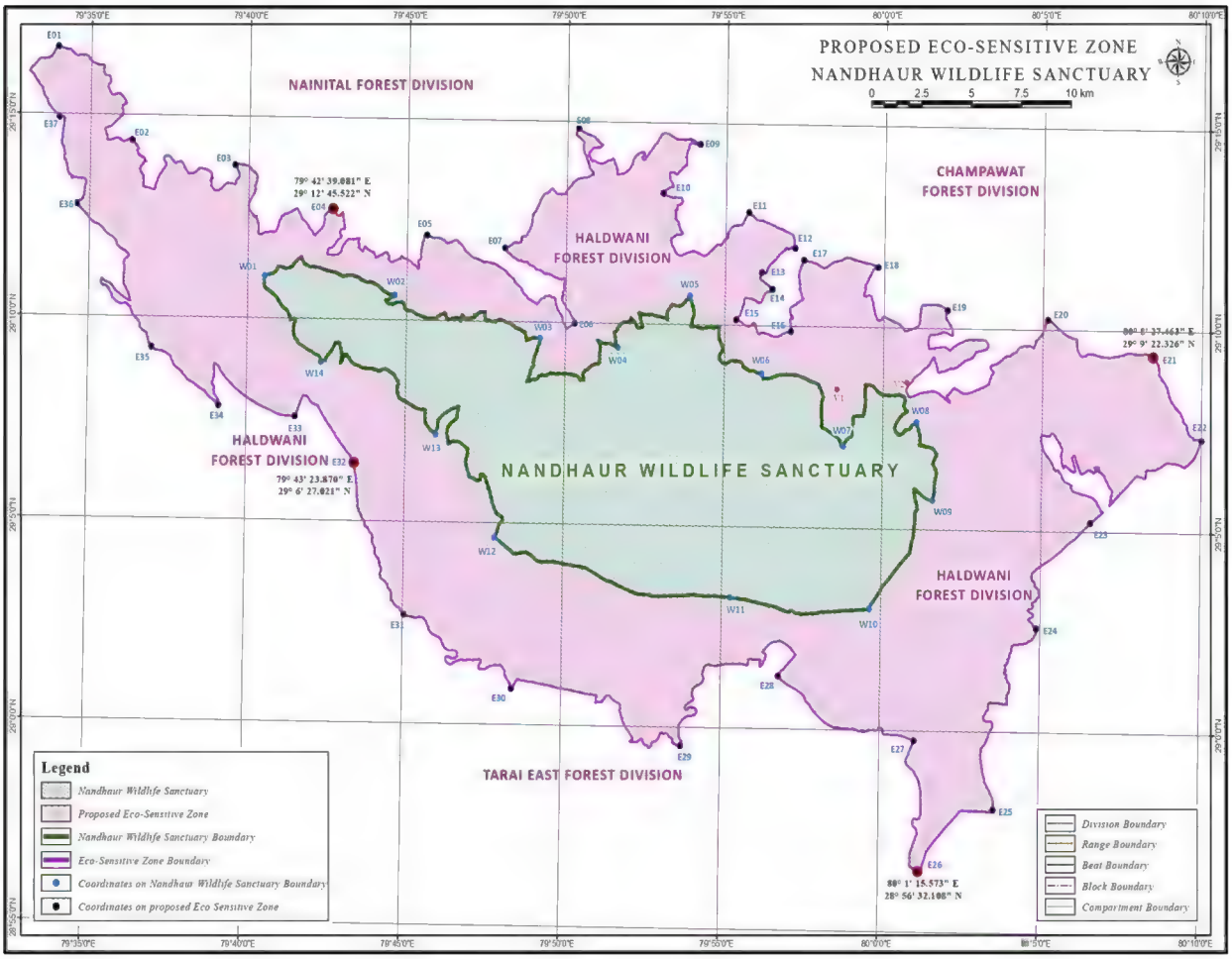

उपाबंध-III

सारणी क : नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु	देशांतर	अक्षांश	विवरण
डब्ल्यू 01	79° 40' 31.695" पू	29° 11' 3.884" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 02	79° 44' 37.284" पू	29° 10' 38.038" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 03	79° 49' 12.193" पू	29° 9' 37.718" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 04	79° 51' 38.832" पू	29° 9' 25.676" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 05	79° 53' 53.049" पू	29° 10' 44.254" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 06	79° 56' 10.269" पू	29° 8' 49.470" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 07	79° 58' 45.739" पू	29° 7' 3.473" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 08	80° 1' 2.823" पू	29° 7' 40.210" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 09	80° 1' 34.977" पू	29° 5' 44.964" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 10	79° 59' 37.921" पू	29° 3' 1.139" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 11	79° 55' 15.137" पू	29° 3' 15.607" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 12	79° 47' 50.944" पू	29° 4' 39.597" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 13	79° 45' 57.253" पू	29° 7' 11.210" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य
डब्ल्यू 14	79° 42' 19.679" पू	29° 8' 57.363" उ	नंधौर वन्यजीव अभयारण्य

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के मुख्य अवस्थानों के भू-निर्देशांक

बिंदु	देशांतर	अक्षांश	विवरण
ई01	79° 33' 57.762" पू	29° 16' 39.994" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 02	79° 36' 19.052" पू	29° 14' 23.009" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 03	79° 39' 33.453" पू	29° 13' 48.082" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 04	79° 42' 39.081" पू	29° 12' 45.522" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 05	79° 45' 36.564" पू	29° 12' 8.292" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 06	79° 50' 17.169" पू	29° 10' 0.514" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 07	79° 48' 4.071" पू	29° 11' 51.318" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 08	79° 50' 20.665" पू	29° 14' 50.935" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 09	79° 52' 1.722" पू	29° 13' 58.015" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 10	79° 53' 13.318" पू	29° 11' 2.581" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 11	79° 54' 38.887" पू	29° 10' 30.784" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 12	79° 57' 43.191" पू	29° 9' 15.266" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 13	79° 59' 48.190" पू	29° 11' 30.730" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 14	80° 1' 59.701" पू	29° 10' 27.968" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन

ई 15	80° 5' 8.790" पू	29° 10' 16.371" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 16	80° 8' 27.463" पू	29° 9' 22.326" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 17	80° 10' 0.297" पू	29° 7' 18.207" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 18	80° 6' 32.886" पू	29° 5' 13.986" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 19	80° 4' 52.771" पू	29° 2' 35.607" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 20	80° 3' 35.373" पू	28° 58' 4.653" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 21	80° 1' 15.573" पू	28° 56' 32.108" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 22	80° 1' 4.867" पू	28° 59' 46.918" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 23	79° 56' 47.563" पू	29° 1' 19.672" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 24	79° 53' 46.660" पू	28° 59' 33.923" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 25	79° 48' 26.818" पू	29° 0' 54.202" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 26	79° 45' 2.150" पू	29° 2' 42.193" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 27	79° 43' 23.870" पू	29° 6' 27.021" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 28	79° 41' 31.539" पू	29° 7' 34.821" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 29	79° 39' 7.687" पू	29° 7' 49.656" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 30	79° 36' 59.523" पू	29° 9' 14.706" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 31	79° 34' 35.786" पू	29° 12' 46.539" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन
ई 32	79° 34' 0.471" पू	29° 14' 55.206" उ	पारिस्थितिकी संवेदी जोन

उपाबंध-IVक

भू-निर्देशांकों के साथ नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

नाम	ग्राम	देशांतर	अक्षांश
कथोल	वी1	79° 58' 32.561" पू	29° 8' 27.937" उ
बकरीयालकीपाटली	वी2	80° 0' 44.337" पू	29° 8' 39.672" उ

उपाबंध-IVख

राजस्व क्षेत्र और सीमा विवरण के साथ नंधौर वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का विवरण

क्र.सं.	ग्राम का नाम	तहसील	ग्राम के अन्तर्गत पंचायती वन का क्षेत्र (हेक्टेयर)	राजस्व ग्राम का क्षेत्र (हेक्टेयर)	सीमा
1	कथोल	पूर्णागिरी	-	50.040	उत्तर – सारदा उत्तर 16, दक्षिण – कथोल 1 एवं2, पूर्व – कथोल 3,

					पश्चिम-दक्षिण सारदा13
2	बकरीयाल की पत्ती (निकटतम ग्राम)		15.741	145.144	उत्तर-बकरीयाल सिविल वन, दक्षिण – मतीअबंझ 2, पूर्व – मतीअबंझ 3, पश्चिम- बडम
		कुल	**15.741**	**195.184**	

उपाबंध -V

की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान: पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का उल्लेख करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में उपाबद्ध करें) ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी संवेदी जोन वार) । ब्यौरे उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार। (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाले क्रियाकलापों की संवीक्षा के मामलों का सार । (ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किए जाएं)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2020

S.O. 4695(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1616 (E), dated the 22nd May 2020, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 22nd May, 2020;

AND WHEREAS, objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the aforesaid draft notification were duly considered by the Central Government;

AND WHEREAS, the Nandhaur Wildlife Sanctuary is located in three districts of Uttarakhand namely, Nainital, Champawat and Udham Singh Nagar, which derives its name from Nandhaur valley and Nandhaur river which flows inside the valley and the Nandhaur Wildlife Sanctuary lies between North latitudes 28°56'29.35'' to 29°16'39.79'' and between East longitudes 79°33'3.82'' to 80°10'0.03'' and spread over an area of 269.95 square kilometers;

AND WHEREAS, this large landscape is flanked by river Yamuna towards the west to river Bhagmati in Nepal towards east;

AND WHEREAS, this landscape is a representative of Tarai-Duar Savana Eco-region, flanking the Himalayas in the southern slopes and the whole area of the landscape is recognised as an important center of biodiversity, both at national and global level;

AND WHEREAS, major flora available in the Sanctuary are *Cassia fistula* (amaltash), *Ailanthus excelsa* (aru), *Mangifira indica* (aam), *Spondias pinnata* (aamra), *Emblica officinalis* (aavala), *Wrightia tomentosa* (indrajao), *Tamarindus indica* (emli), *Sterculia villosa* (udal), *Bauhinia variegata* (kachmar), *Flacourtia indica* (katail [kandaii]), *Zizyphus xyloyna* (kathber), *Haplohragma adenaphyllum* (kath sagaon), *Marica sapida* (kafal), *Buchanania lanzan* (kathbhilava), *Buchanania latifolia* (pyalcharoji), *Gmelina arborea* (kamhar [gamhar]), *Albizzia odoratissima* (kalasiras), *Acacia farnesiana* (kinkar), *Careya arborea* (kumbhi), *Ficus cunia* (kumiya), *Schleichera oleosa* (kusum), *Holarrhena antidysenterica* (kuda), *Phoebe lanceolata* (kakra), *Muchilus odoratissima* (kaola), *Holoptelea intgrifolia* (kanju), *Celtis tetrandra* (kharik), *Bauhinia malabarica* (khatava), *Beridelia retusa* (khaza), *Ficus infectoria, Ficus rumphii* (khabar, pakar), *Sapium insigne* (kheena), *Acacia Catechu* (kher), *Bauhinia purpurea* (kherwall), *Trewia nudiflora* (kutel), *Ficus racemosa* (gular), *Boehmaria rugulosa* (gethi), *Bridelia ratusa* (goli [ekdanya]), *Ehretia laevis* (chamror [ichoda]), *Casearia elliptica* (chilla), *Wendlandia exserta* (chila [tirchunya]), *Diploknema butyracea* (chura), *Pinus roxburghi* (chir), *Alstonia Schelaris* (chitvan [chiun]), *Syzygium cumini* (jamun), *Trema orientalis* (jeevanti), *Putranjiva roxburghli* (jooti), *Tamarix dioica* (jhau), *Lennea coromandelica* (jhingan), *Cinnamomum tamala* (dalchini[trjpatta]), *Garuga pinnata* (titmira [kharpat]), *Miliusa velutina* (domsaal), *Butea monosperma* (dhak), *Elaeotendron glaucum* (dhibri), *Sapium sebiferum* (tarcharbi), *Oroxylum indicum* (tarloo[tasriya]), *Cocculus laurifolius* (tilfora), *Ficus roxburghii* (timla), *Toona ciliata, Cedrela toona* (tun), *Diospyros tomentose* (tandu), *Gardenia turgida* (thanela), *Grewia elastica* (thaman), *Woodfordia fruticosa* (dhaula), *Erythrina suberosa* (dhauladhak), *Lagerstroemia parviflora* (dhori), *Azadirachta indica* (neem), *Stereospermum suaveolens* (padal), *Bischoffia javanica* (panisemal), *Dalbergia lonceolaria* (passi [bandhar]), *Ficus religiosa* (pipal), *Kydia calycina* (pula[patta]), *Broussonetia papyrifera* (paper malvari), *Mitragyna pravifolia* (faldu), *Grewia hainesina* (farasen), *Acacia nilotica* (babool), *Terminalia bellerica* (bahera), *Melia azedarach* (bakein), *Cratacva religiosa* (barna [baruna]), *Ficus bengalensis* (banratha [bargad]), *Anogeissus latifolia* (baakali), *Pterocarpus marsupium* (bijaysaal), *Ficus scandens* (betuli), *Rhododendron arboreum* (burash), *Quercus leucotrichophora* (baanj), *Aegle marmelos* (bel), *Zizyphus maurationa, Zizyphus jujuba* (ber), *Hymenodictyon excelsum* (borang), *Semecarpus anacardium* (bhilava), *Grewia oppositifolia* (bhimal), *Madhuca indica* (mahuva), *Zizyplus xyloyra* (makida), *Litsea ghutinose* (maida), *Randia dumetorum* (maninfall), *Eucalyptus hybrid* (eucalyptus [safeda]), *Mallotus phillipensis* (rohani), *Cordia dichotoma, Cordia myxa* (lasora), *Casearia graveolens* (lalchila), *Morus alba* (sahtut [tutari]), *Dalbergia sissoo* (shisu [shisam]), *Xylosma longifothum* (shallu), *Shorea robusta* (saal), *Ougeinia oojeinensis* (saadan), *Tectona grandis* (saogaon), *Albizzia chinensia* (siras [kala]), *Albizzia procera* (siris [safed]), *Moringa oleifera* (seazna), *Bonbax ceiba* (semal), *Terminalia alata* (sain [ashna]), *Nyctanthes arborttistis* (hersringar), *Adina cordifolia* (haldu), *Terminalia chebula* (harra [harad]), etc;

AND WHEREAS, among the mega-fauna found in this region, the most important ones are tigers, elephants, leopards, sloth bears, and numerous herbivores and the diverse fauna of this area enjoys equally diverse floral diversity, which can be estimated considering the fact that the area has twenty-seven types and sub-types of Champion and Seth classified forests;

AND WHEREAS, the fauna recorded from the Nandhaur Wildlife Sanctuary are Rhesus macaque (*Macaca mulatta),* common langur (*Presbytis entellus),* jungle cat (*Felis chaus),* tiger (*Panthera tigris),* common mongoose (*Hertestes edwardsi),* small indian mongoose (*Hertestes auropunctatus),* jackal (*Canis aureus),* Indian fox (*Velpes bengalensis),* sloth bear (*Melursus ursinus),* small Indian civet (*Veverricula indica),* blue bull (*Boselaphus tragocanelus),* barking deer (*Muntiacus muntjak),* spotted deer (*Axis axis),* sambhar (*Cervus unicolor),* wild pig (*Sus scrofa),* five striped palm squirrel (*Funambulus pannanti),* Indian field mouse (*Musbooduga),* common house rat (*Rattus rattus),* house mouse (*Mus musculus),* porcupine (*Hystrix indica),* the grey musk shrew (*Suncus murinus),* Rufoustailed hare (*Lepus nigricollis ruficaudatus),* flying fox (*Pteropus giganteus),* fruit bat (*Rousettus leschenaulti),* goral (*Naemorhedus goral),* Indian pangolin (*Manis cresichodata),* Asian elephant (*Elephas maximus),* common palm civet (*Paradoxurus hermaphroditus),* red giant flying squirrel (*Petaurista petaurista),* hispid hare (*Caprolagus hiseldus),* Indian hare (*Lepus nigricllis),* serow (*Capricornis sumatraensis),*etc;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Nandhaur Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986, (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 0.7 kilometres to 15.0 kilometres around the boundary of Nandhaur Wildlife Sanctuary, in Nainital Champawat and Udham Singh Nagar

districts in the State of Uttarakhand as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

1. **Extent and boundaries of the Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 0.7 kilometres to 15.0 kilometres around the boundary of Nandhaur Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 540.267 square kilometres. The detail area of the Eco-sensitive Zone are under as:

Haldwani Forest Division	: 270.175 square kilometers;
Champawat Forest Division	: 100.880 square kilometers;
Tarai East Forest Division	: 167.103 square kilometers;
Revenue Area of 2 villages	: 1.9518 square kilometers; and
Van panchayat area	: 0.1574 square kilometers.

(2) The boundary description of Nandhaur Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I.**

(3) The maps of the Nandhaur Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC, Annexure-IID** and **Annexure-IIE.**

(4) List of geo-coordinates of the boundary of Nandhaur Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III.**

(5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IVA** and **Annexure-IVB.**

2. **Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal;
(x) Panchayati Raj; and
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.–** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and vide provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and

(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.

(e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by the State Government whichever, is more stringent.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The E - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(b) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) The Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) Construction shall not be permitted on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made thereunder including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within the Eco-sensitive Zone; (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted: Provided that non-polluting industries shall be allowed within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited.

9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents; Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
13.	Felling of trees.	a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
16.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules, and regulations available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules regulations and available guidelines.

18.	Undertaking other activities related to tourism like flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
22.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except as otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
23.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.
24.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Solid Waste Management.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
	C. Promoted Activities	
29.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
30.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
31.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
32.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
34.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
35.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land or forests or habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. **Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.-** For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Collector, Nainital	Chairman, ex-officio;
(ii)	Representative of Collector of Champawat	Member;
(iii)	Representative of the Department of Environment, Government of Uttarakhand	Member;
(iv)	Representative of the Department of Urban Development, Government of Uttarakhand	Member;
(v)	Regional officer, Uttarakhand State Pollution Control Board	Member;
(vi)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(vii)	One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the State Government.	Member;
(viii)	Divisional Forest Officer, Haldwani Forest Division	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the Monitoring committee shall be till further orders, provided that the non-official members of the Committee shall be nominated by the State Government from time to time.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. Additional measures.- The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. Supreme Court, etc. orders.- The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/113/2015-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE AROUND NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY IN THE STATE UTTARKHAND

East Side - Sarda North 22,23, Mathiabanjh 3,4, Chhini 53, West Bastia 1,2,3, East Bastia 1,2,3,4, Naghan 8, Baramdeo A2,A1, Kakrali B, A, D, North Guliapani 4b, South Guliapani 1,2,3, East Kilpura A, B, C;

West Side - Kalega-6,1, Nandhour-1 Sumanthapla-2, Lakhanmandi-5a, 4c, 4a,4b,3,2a,1a,8b, Dolpokhara- 5, 8b, 8c, 8a, 7a, 7b, 6b, 6a, Kalukhera- 5,6,3 Ratighat- 3a, 1a, 1b, 2b, 2a, 3b, 3a,4, 5, 6a, 6b Garhkharak block c.no.-1, 2, 3, 4, 5a, 5b Simlia block c.no.-5b, 4c, 4a, 3, 2, 1 Patrani block c.no.- 4, West Lobchula 1a, 2b, 2a, 3a,4a;

North Side - East Lobchula 1,2,3, Gauniyaroa 1,13, North Kholgarh 1, Upraula Gauniyaroa 1,2, South Loweranala 1,4,5, North Loweranala 4b, 3b, 2b Kundal 1,4,5,8 Aaligarh 1b, 1a, Betlad 5a. 5b (part),2a(part),1a(part),1b(part), Durgapipal 11(part), Sarda North 4(part),5(part),6(part);

South Side - North Banbasa Block 5,8,7, West Kilpura A, Dogari block-1 & 2, Sudlimath Block I, 11b, Sudlimath Block-II-2b,2a,1b,1a, Beda Reserve -3 East Jaulasal- 16,15,14,13,12, West Jaulasal-6b, Hanspur block-C , Kalega-7

ANNEXURE- IIA

MAP OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

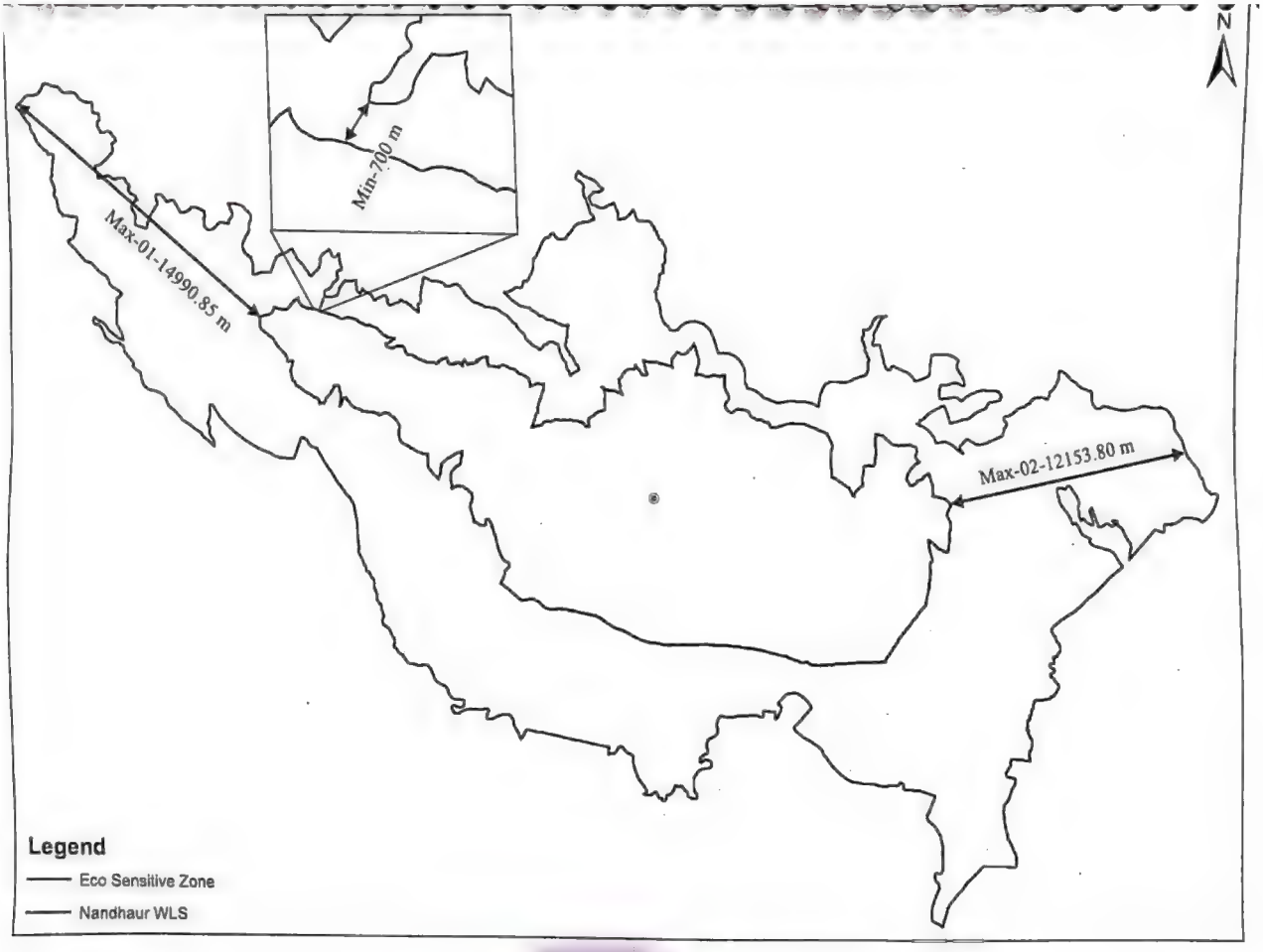

ANNEXURE-IIB

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

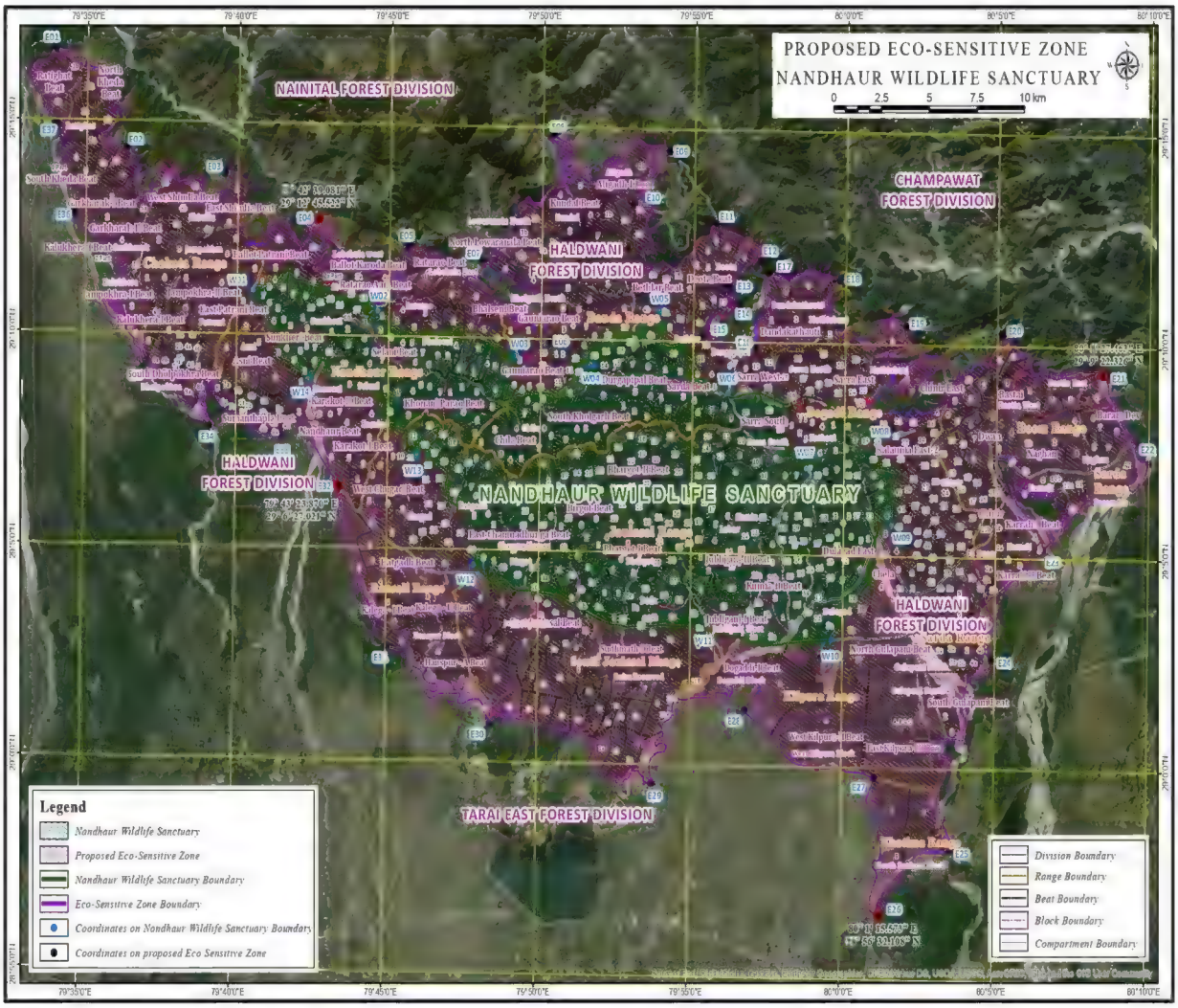

ANNEXURE- IIC

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

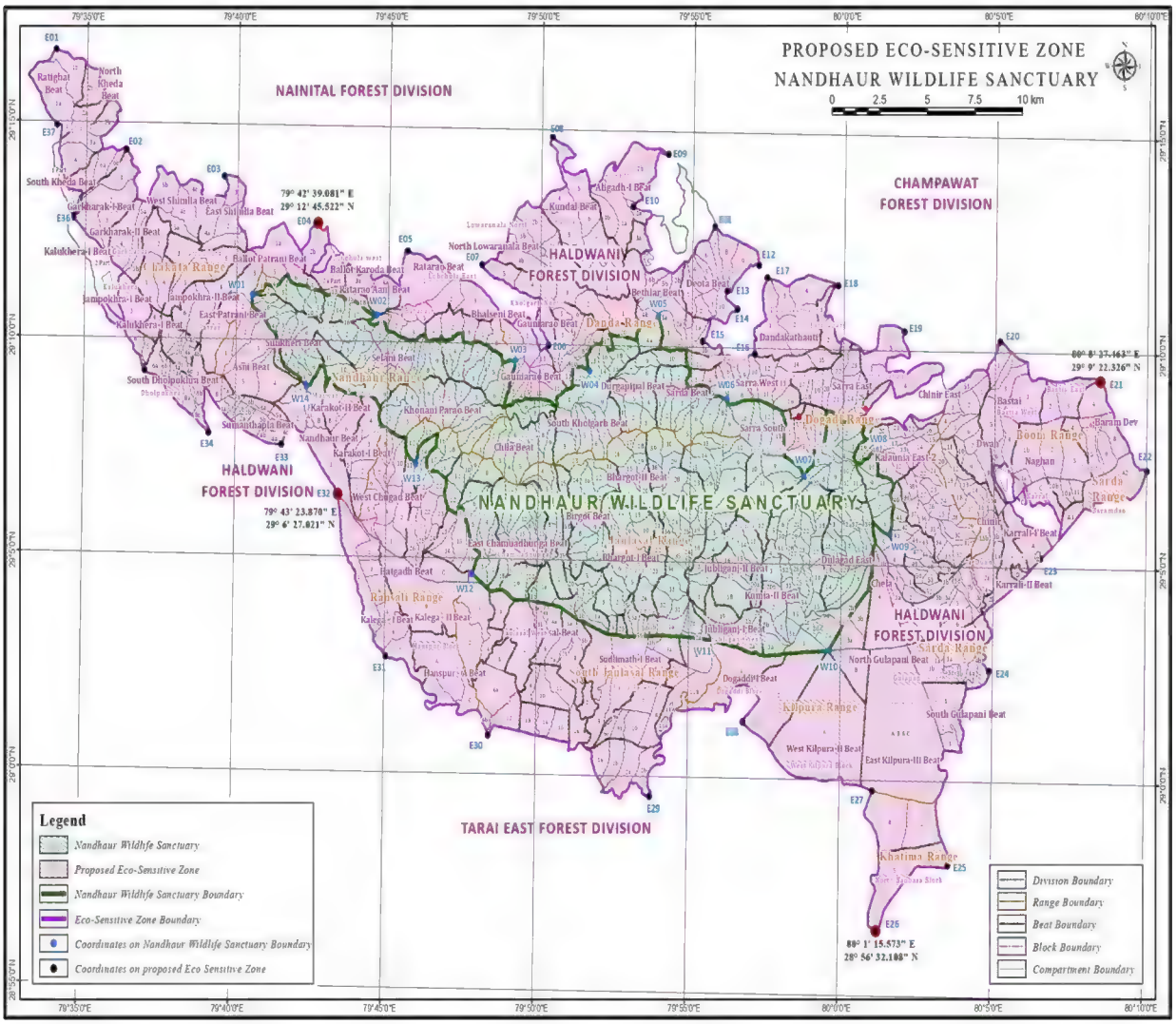

ANNEXURE-IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET

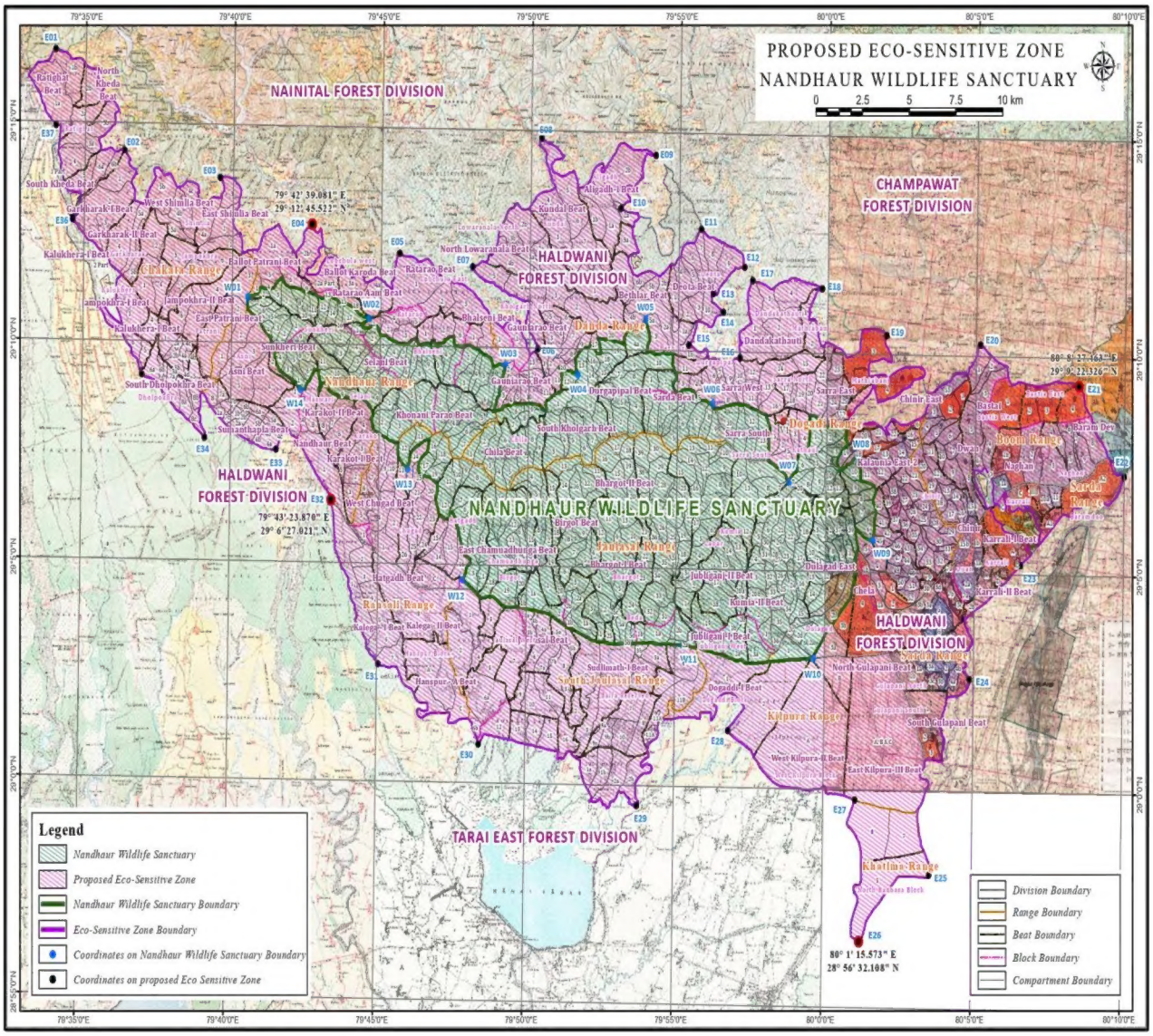

ANNEXURE- IIE

MAP OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS

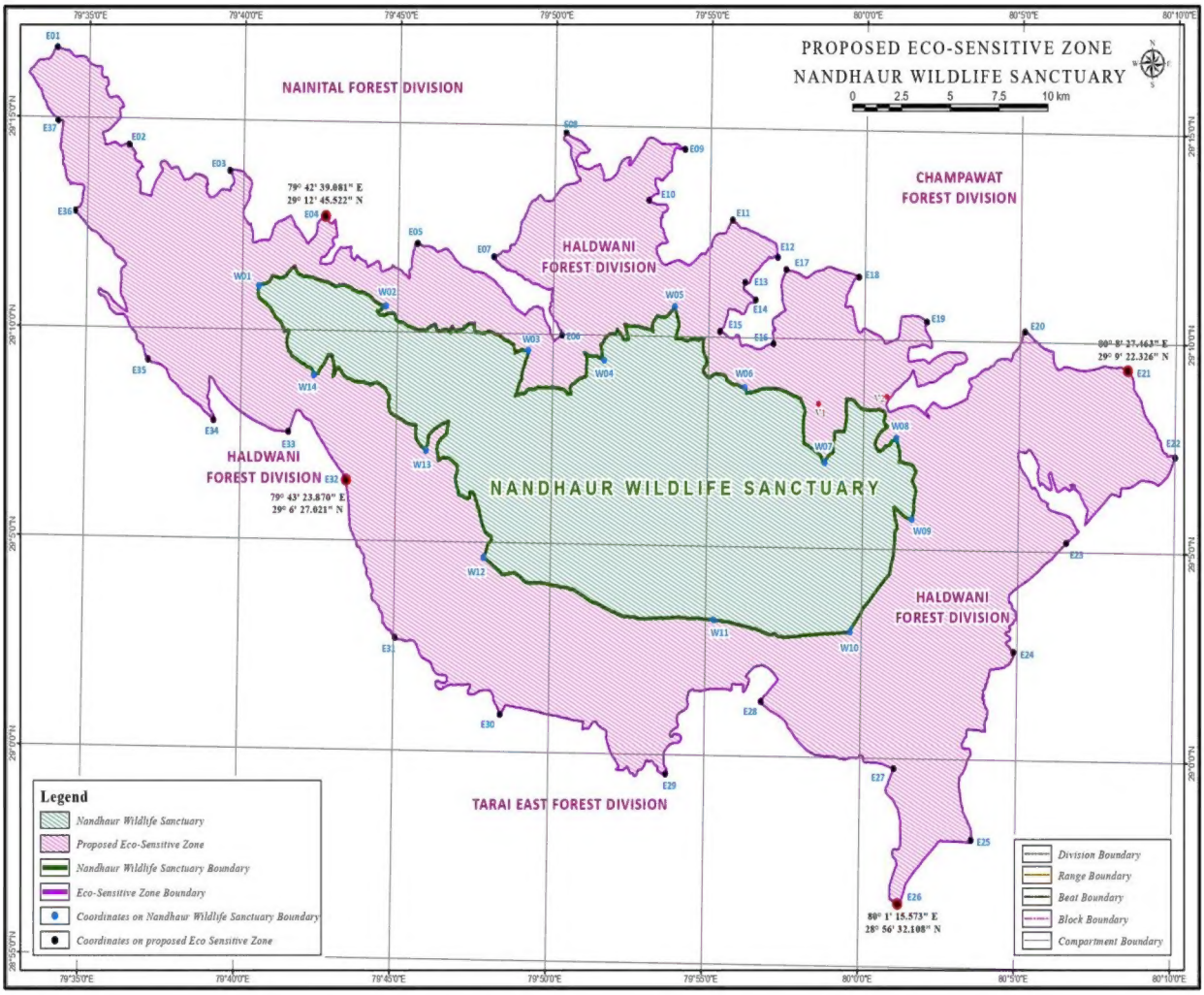

ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY

Point	Longitude	Latitude	Description
W01	79° 40' 31.695" E	29° 11' 3.884" N	Nandhaur WLS
W02	79° 44' 37.284" E	29° 10' 38.038" N	Nandhaur WLS
W03	79° 49' 12.193" E	29° 9' 37.718" N	Nandhaur WLS
W04	79° 51' 38.832" E	29° 9' 25.676" N	Nandhaur WLS
W05	79° 53' 53.049" E	29° 10' 44.254" N	Nandhaur WLS
W06	79° 56' 10.269" E	29° 8' 49.470" N	Nandhaur WLS
W07	79° 58' 45.739" E	29° 7' 3.473" N	Nandhaur WLS
W08	80° 1' 2.823" E	29° 7' 40.210" N	Nandhaur WLS

W09	80° 1' 34.977" E	29° 5' 44.964" N	Nandhaur WLS
W10	79° 59' 37.921" E	29° 3' 1.139" N	Nandhaur WLS
W11	79° 55' 15.137" E	29° 3' 15.607" N	Nandhaur WLS
W12	79° 47' 50.944" E	29° 4' 39.597" N	Nandhaur WLS
W13	79° 45' 57.253" E	29° 7' 11.210" N	Nandhaur WLS
W14	79° 42' 19.679" E	29° 8' 57.363" N	Nandhaur WLS

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Point	Longitude	Latitude	Description
E01	79° 33' 57.762" E	29° 16' 39.994" N	Eco Sensitive zone
E02	79° 36' 19.052" E	29° 14' 23.009" N	Eco Sensitive zone
E03	79° 39' 33.453" E	29° 13' 48.082" N	Eco Sensitive zone
E04	79° 42' 39.081" E	29° 12' 45.522" N	Eco Sensitive zone
E05	79° 45' 36.564" E	29° 12' 8.292" N	Eco Sensitive zone
E06	79° 50' 17.169" E	29° 10' 0.514" N	Eco Sensitive zone
E07	79° 48' 4.071" E	29° 11' 51.318" N	Eco Sensitive zone
E08	79° 50' 20.665" E	29° 14' 50.935" N	Eco Sensitive zone
E09	79° 52' 1.722" E	29° 13' 58.015" N	Eco Sensitive zone
E10	79° 53' 13.318" E	29° 11' 2.581" N	Eco Sensitive zone
E11	79° 54' 38.887" E	29° 10' 30.784" N	Eco Sensitive zone
E12	79° 57' 43.191" E	29° 9' 15.266" N	Eco Sensitive zone
E13	79° 59' 48.190" E	29° 11' 30.730" N	Eco Sensitive zone
E14	80° 1' 59.701" E	29° 10' 27.968" N	Eco Sensitive zone
E15	80° 5' 8.790" E	29° 10' 16.371" N	Eco Sensitive zone
E16	80° 8' 27.463" E	29° 9' 22.326" N	Eco Sensitive zone
E17	80° 10' 0.297" E	29° 7' 18.207" N	Eco Sensitive zone
E18	80° 6' 32.886" E	29° 5' 13.986" N	Eco Sensitive zone
E19	80° 4' 52.771" E	29° 2' 35.607" N	Eco Sensitive zone
E20	80° 3' 35.373" E	28° 58' 4.653" N	Eco Sensitive zone
E21	80° 1' 15.573" E	28° 56' 32.108" N	Eco Sensitive zone
E22	80° 1' 4.867" E	28° 59' 46.918" N	Eco Sensitive zone
E23	79° 56' 47.563" E	29° 1' 19.672" N	Eco Sensitive zone
E24	79° 53' 46.660" E	28° 59' 33.923" N	Eco Sensitive zone
E25	79° 48' 26.818" E	29° 0' 54.202" N	Eco Sensitive zone
E26	79° 45' 2.150" E	29° 2' 42.193" N	Eco Sensitive zone

E27	79° 43' 23.870" E	29° 6' 27.021" N	Eco Sensitive zone
E28	79° 41' 31.539" E	29° 7' 34.821" N	Eco Sensitive zone
E29	79° 39' 7.687" E	29° 7' 49.656" N	Eco Sensitive zone
E30	79° 36' 59.523" E	29° 9' 14.706" N	Eco Sensitive zone
E31	79° 34' 35.786" E	29° 12' 46.539" N	Eco Sensitive zone
E32	79° 34' 0.471" E	29° 14' 55.206" N	Eco Sensitive zone

ANNEXURE-IVA

LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES

Name	Village	Longitude	Latitude
Kathaul	V1	79° 58' 32.561" E	29° 8' 27.937" N
BakrialukiPatli	V2	80° 0' 44.337" E	29° 8' 39.672" N

ANNEXURE-IVB

DETAILS OF THE VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF NANDHAUR WILDLIFE SANCTUARY ALONG REVENUE AREA AND BOUNDARY DESCRIPTION

S. No.	Name of Village	Tehsil	Area of Panchayati Van inside the Village (Ha.)	Area of Revenue Village (Ha.)	Boundary
1	Kathoul	Purnagiri	-	50.040	North – North Sarda 16, South – Kathoul 1 &2, East – Kathoul 3, West-South Sarda 13
2	Bakriyal ki Pati (Nearest Village)		15.741	145.144	North-Bakriyal Civil Forest, South – Mathiyabanj 2, East – Mathiyabanj 3, West Budam
		Total	**15.741**	**195.184**	

ANNEXURE –V

Performa of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.12.26 13:32:14 +05'30'